छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक: एफ 21– 3/2014/1–3, नया रायपुर, दिनांक 16/07/2014

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, छ.ग. बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
छत्तीसगढ़.

विषयः– स्व–प्रमाणीकृत छायाप्रतियाँ मान्य करने के संबंध में।

---:::---

भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, नई दिल्ली के कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक K - 11022/67/2012–AR दिनांक 10.05.2013 के अनुशरण में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 12 वीं रिपोर्ट शीर्षक "Citizen Centric Administration - The Heart of Governance" में की गई अनुशंसा अनुसार राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रक्रियाओं को सरलीकृत करने हेतु स्व–प्रमाणीकरण के प्रावधान को छत्तीसगढ़ राज्य में मान्य किया जाए।

2/ तदानुसार आम जनता एवं शासकीय सेवकों द्वारा विभिन्न प्रयोजनों के लिए उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों यथा जाति, आय, मूल निवासी, चरित्र, शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण–पत्रों/स्वयं के फोटो आदि को संवैधानिक/विधि/नियमों के तहत् विशेष रूप से राजपत्रित अधिकारियों द्वारा सत्यापित कराने की अनिवार्यता न होने पर, ऐसे दस्तावेज आवेदक/हितग्राही द्वारा स्वयं सत्यापित कर, आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तुत कर सकेंगे। साक्षात्कार एवं सत्यापन की अंतिम अवस्था के समय सत्यापन हेतु मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे।

3/ उक्त निर्णय के अनुपालन में सभी कार्यालयों में विभिन्न प्रयोजनों के लिए निर्धारित आवेदन–पत्रों में उल्लिखित वर्तमान प्रावधानों को संशोधित किया जाकर, निर्देशों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(के.आर.मिश्रा)
अपर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

......2

पृ. कमांक एफ 21-3/2014/1-3, नया रायपुर, दिनांक 16/07/2014

प्रतिलिपिः-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, छत्तीसगढ़ नया रायपुर।
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा, रायपुर।
3. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
4. रजिस्ट्रार जनरल, मान. उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छ.ग.।
5. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, छत्तीसगढ़, रायपुर।
6. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर।
7. सचिव, राज्य योजना आयोग/राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग/राज्य मानव अधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/राज्य सूचना आयोग/राज्य महिला आयोग/राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग/राज्य अनुसूचित जाति आयोग/राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग/राज्य अल्प संख्यक आयोग/राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग/राज्य युवा आयोग/लोक आयोग/राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर छत्तीसगढ़।
8. संचालक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, रायपुर, छ.ग.
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रायपुर, छ.ग.
10. विशेष सहायक/निज सहायक समस्त मान. मंत्रीगण, नया रायपुर।
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन नई दिल्ली।
12. संचालक, जनसंपर्क, रायपुर की ओर समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।
13. उप सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय, उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर।
14. अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
15. अवर सचिव(स्थापना)/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्यलेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर।
16. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), मंत्रालय रायपुर की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट www.cg.nic.in/gadonline में अपलोड करने हेतु।

अपर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग